रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-27112024-258954
CG-WB-E-27112024-258954

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 937] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 2024/अग्रहायण 5, 1946
No. 937] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 26, 2024/AGRAHAYANA 5, 1946

यूको बैंक

अधिसूचना

कोलकाता, 26 नवम्बर, 2024

सं. एचओ/ईएसटी/2024-25/570.—बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूको बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र सं.4/2/2/2015-आईआर, दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के अनुसरण में की गई या करने से छोड़ी गई बातों के संबंध में, 1 नवंबर, 2017 से लेकर आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक, यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को और आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों को यूको बैंक(अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (जिसे इसके बाद उक्त विनियम कहा जाएगा) में , विनियम 3 में, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(च) चिकित्सा सुविधाओं और छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजन के लिए "परिवार" से तात्पर्य अधिकारी के पति या पत्नी, पूर्णतः आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित), चालीस प्रतिशत या अधिक विकलांगता वाले पूर्णतः आश्रित शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग भाई या बहन, विधवा पुत्रियां और आश्रित तलाकशुदा या अलग हुई पुत्रियां, अविवाहित या तलाकशुदा या पति से अलग हुई या विधवा बहनों सहित बहनें और अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता से है।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए,-

(i) अभिव्यक्ति "पूर्णतः आश्रित पारिवारिक सदस्य" का तात्पर्य परिवार के ऐसे सदस्य से है जिसकी आय **₹12,000/- प्रति माह** से अधिक नहीं है और यदि माता-पिता में से किसी एक की आय **₹12,000/- प्रति माह** से अधिक है या माता-पिता दोनों की कुल आय **₹12,000/- प्रति माह** से अधिक है तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जाएगा।

(ii) कोई विवाहित महिला अधिकारी अपने प्राकृतिक माता-पिता या सास-ससुर को परिवार की परिभाषा में शामिल कर सकती है, लेकिन दोनों को नहीं, बशर्ते ऐसे माता-पिता या सास-ससुर पूरी तरह से उस पर आश्रित हों।

स्पष्टीकरण 2.- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना के प्रयोजन के लिए, सभी अधिकारियों, अर्थात् पुरुष या महिला, के लिए आश्रित माता-पिता या सास-ससुर में से किन्हीं दो को कवर किया जाएगा और अधिकारी के पास आश्रितों में से किसी एक या दोनों को प्रतिस्थापित करने का विकल्प होगा।

स्पष्टीकरण 3.- किसी अधिकारी के शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को उनकी आयु या वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, आय मानदंड के अधीन, आश्रित माना जाएगा' ;

3. उक्त विनियमनों के विनियम 4 **में**, -

(क) उप विनियम (**6)** में, स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा**;**

(ख) उप-विनियम (**7)** और (**8)** के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(7) दिनांक 1 नवंबर 2017 से प्रत्येक श्रेणी के समक्ष विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे:-

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = ₹ 116120 – 3220/4 – 129000

वेतनमान VI = ₹ 104240- 2970/4 - 116120

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = ₹89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 - 100350

वेतनमान IV = ₹76010 – 2220/4 – 84890– 2500/2 – 89890

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = ₹ 63840 -1990/5– 73790 - 2220/2 - 78230

वेतनमान II = ₹ 48170–1740/1 - 49910 -1990/10 - 69810

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I = ₹36000 -1490/7- 46430-1740/2-49910-1990/7-63840.

स्पष्टीकरण.-प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्टूबर, 2017 को लागू वेतनमान द्वारा शासित होता है, उसे 1 नवंबर 2017 को चरण-दर-चरण आधार पर इस उप-विनियमन में निर्धारित वेतनमान में फिट किया जाएगा , अर्थात् संबंधित वेतनमान में पहले चरण से आगे के अनुरूप चरणों में और वेतन वृद्धि हमेशा की तरह वर्षगांठ की तारीख को होगी, सिवाय जहां अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

(8) (क) 1 नवंबर, 2012 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते दिए जाएंगे:-

वेतनमान I – III - मूल वेतन का 7.75 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 10 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI – VII - मूल वेतन का 11 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता ।

(ख) 1 नवंबर, 2017 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा:-

वेतनमान I – III - मूल वेतन का 16.40 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 19 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI - VII - मूल वेतन का 20 प्रतिशत तथा उस पर लागू महंगाई भत्ता

स्पष्टीकरण.- उप-विनियम (8)(क) और (8)(ख) में निर्दिष्ट विशेष भत्ते और उस पर लागू महंगाई भत्ते को नई पेंशन योजना सहित पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नहीं गिना जाएगा।"

(9) उप-विनियम (1) से (8) तक की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक को हर समय इन सभी ग्रेडों में सेवारत अधिकारी रखने होंगे।

4. उक्त विनियमनों के विनियम 5 में, -

(क) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) विनियम 4 के उप-विनियम (7) और (8) के प्रावधानों के अधीन, 1 नवंबर, 2017 से वेतन वृद्धि निम्नलिखित के अधीन प्रदान की जाएगी, अर्थात्: -

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (7) और (8) में निर्धारित वेतनमान में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन, वार्षिक आधार पर अर्जित होगी और उस महीने के पहले दिन प्रदान की जाएगी जिसमें ऐसी वेतन वृद्धि देय होती है ;

(ख) अपने-अपने वेतनमानों में अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को, खंड (ग) में निर्दिष्ट अगले उच्चतर वेतनमान में गत्यावरोध वेतन वृद्धि सहित आगे वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि वे दक्षता बार को पार कर लें;

(ग) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान – I के अधिकारी जो वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद खंड (ख) के अनुसार मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के वेतनमान में चले गए हैं , सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए पांच स्थिर वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, जिनमें से पहली दो वेतन वृद्धियां 1990/- रुपये प्रत्येक की होंगी और अगली तीन वेतन वृद्धियां 2220/- रुपये प्रत्येक की होंगी:

बशर्ते कि अधिकारी चौथी वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2017 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा।

(घ) मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II के अधिकारी, जो खंड (ख) के अनुसार उच्चतर वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III के वेतनमान में चले गए हैं वे, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए 2220/- रुपए की पांच स्थिर वेतन वृद्धि के पात्र होंगे:

बशर्ते अधिकारी चौथी वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2017 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा।

(ङ) सब्सटेंसिव मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में अधिकारी, अर्थात् वे जो मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में भर्ती किए गए हैं या पदोन्नत किए गए हैं, छह गत्यवरोध वेतनवृद्धियों के लिए पात्र होंगे, जिनमें से प्रथम चार गत्यवरोध वेतनवृद्धियां, 2220/- रुपये प्रत्येक की, अधिकतम तक पहुँचने के बाद पूरी की गई प्रत्येक दो वर्ष की सेवा के लिए प्रदान की जाएंगी और अगले दो गत्यवरोध वेतनवृद्धियां, 2500/- रुपये प्रत्येक की, चौथी गत्यवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद पूरी की गई प्रत्येक दो वर्ष की सेवा के लिए प्रदान की जाएंगी:

बशर्ते छठी स्थिर वेतनवृद्धि पांचवीं स्थिर वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2017 को जारी की जाएगी , जो भी बाद में हो, जारी की जाएगी ;

(च) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV के अधिकारी, वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए दो स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली स्थिर वेतन वृद्धि 2500/- रुपये की होगी और दूसरी स्थिर वेतन वृद्धि 2730/- रुपये की होगी:

बशर्ते अधिकारी प्रथम गत्यवरोध वेतन वृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा

1 नवम्बर, 2017 को, जो भी बाद में हो, द्वितीय गत्यवरोध वेतन वृद्धि के लिए

पात्र हो :

(छ) बैंक में अपनी सेवा के दौरान वेतनमान I से वेतनमान IV तक के अधिकारियों द्वारा 1 नवंबर, 2017 को प्राप्त की गई गत्यवरोध वेतन वृद्धि, इसके पूर्व आवधिकता के अनुसार, उनकी अधिकतम अवधि तक पहुंचने की तारीख से तीन वर्ष की आवधिकता से दो वर्ष की आवधिकता में पुनः समायोजित की जाएगी और अधिकारी संशोधित आवधिकता के अनुसार 1 नवंबर, 2017 से गत्यवरोध वेतन वृद्धि के लिए काल्पनिक रूप से पात्र होंगे , यह वृद्धि सेवानिवृत्ति लाभ के लिए पात्र प्राप्त होगा ।

बशर्ते ऐसी संशोधित और पुनः समायोजित आवधिकता के कारण गत्यवरोध वेतन वृद्धि की मौद्रिक लाभ 1 नवंबर, 2020 या पात्रता की वास्तविक तारीख, जो भी बाद में हो, से देय होगा ;

(ज) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान V में अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर 2020 को, जो भी बाद में हो, 2970/- रुपये की एक स्थिर वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा :

बशर्ते ऐसी वेतनवृद्धि उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है।

स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में वेतन वृद्धि प्रदान करना पदोन्नति नहीं माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, सुविधाएं, कर्तव्य और जिम्मेदारियां उनके सब्सटेंसिव पद के अनुसार जारी रहेंगी।"

(ख) उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण में, खंड (छ) के परन्तुक के पश्चात् और नोट के पूर्व, निम्नलिखित खंड सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (ज) 1 नवंबर, 2017 से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की प्रमात्रा नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार संशोधित होगी :-

तालिका

(1)	(2)
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट पार्ट I परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	(i) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद 1020 रुपये प्रति माह।
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों भाग पास कर लिए हों	(i) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद 1020 रुपये प्रति माह। (ii) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के दो वर्ष बाद 2550 रुपये प्रतिमाह:

बशर्ते वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय बैंकर्स संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (दोनों में से कोई एक या दोनों भाग) योग्यता प्राप्त करने वाले अधिकारी को ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किस्तों की रिहाई ऐसी व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त की जारी होने की तारीख के संदर्भ में होगी।"

(ग) उप-विनियम (3) में, -

(i) खंड (च) में सारणी के पश्चात् नोट (i) से (vi) का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(छ) 1 नवंबर, 2017 से, अन्य बातें समान होने पर, मकान किराया भत्ते के साथ नियत वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा और पूरी सेवा अवधि के लिए स्थिर रहेगा:-

तालिका

वेतन वृद्धि घटक (रु.)	महंगाई भत्ता 1 नवंबर, 2017 को वेतन वृद्धि घटकों पर (रु.)	जहां बैंक की सुविधा उपलब्ध है वहां देय कुल स्थिर व्यक्तिगत वेतन (रु.)
(1)	**(2)**	**(3)**
1990	53	2043
2220	59	2279
2500	66	2566
2730	73	2803
2970	79	3049
3220	86	3306

टिप्पणी:

(i) इस उप-विनियमन के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) में सारणी के कॉलम (3) के अंतर्गत निर्दिष्ट निश्चित व्यक्तिगत भत्ता या निश्चित व्यक्तिगत वेतन उन अधिकारियों को देय होगा, जिन्हें बैंक आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों के लिए निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन, उक्त सारणी के स्तंभ (1) और (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुल राशि होगी तथा संबंधित अधिकारी द्वारा विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6) और (7) में विनिर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि अर्जित करने पर प्राप्त किया गया मकान किराया भत्ता अर्जित करलिया जाता है।

(iii) केवल वे अधिकारी जो 1 नवंबर, 1993 को या उसके पूर्व से बैंक की सेवा में हैं, अधिकतम वेतनमान वेतन तक पहुंचने के एक वर्ष बाद नियत व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र होंगे, वे शामिल है।

(iv) **1** नवंबर **1999** को और उसके बाद**,** निश्चित व्यक्तिगत वेतन जारी करने के कारण जैसा कि उप-विनियमन (**2)** के स्पष्टीकरण (ग) में दिखाया गया है, व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी करने की अनुसूची में कोई बदलाव नहीं होगा:

बशर्ते पेशेवर योग्यता वेतन की कोई किस्त, जो पहले के प्रावधानों के कारण एक वर्ष के लिए स्थानांतरित कर दी गई है और जो 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी करने के लिए निर्धारित है, उसे इस तारीख से अधिकारी को जारी किया गया और पेशेवर योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवंबर, 2000 को जारी की जाएगी।

(v) नियत व्यक्तिगत भत्ता या नियत व्यक्तिगत वेतन का वेतन वृद्धि घटक सेवानिवृत्ति लाभों के लिए रैंक करेगा।

(vi) अधिकारी जिसने खंड (क) के रूप में अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित की है, वह अधिकतम वोतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष बाद खंड (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) में उल्लिखित निश्चित व्यक्तिगत भत्ता या निश्चित व्यक्तिगत वेतन की प्रमात्रा प्राप्त करेगा। "

5. उक्त विनियमों के विनियम 21 में,-

(क) उप-विनियमन (6) में, स्पष्टीकरण में, खंड (ख) में, कोष्ठक, पत्र और शब्द "(च) और (छ)" के लिए, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(च), (छ) और (ज)" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियमन (6) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन डाला जाएगा, अर्थात्:-

"(7) 1 नवंबर, 2017 को या उस तिथि की महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत कामकाजी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के तिमाही औसत में 6352 अंकों से अधिक चार अंकों की प्रत्येक वृद्धि या गिरावट के लिए वेतन के 0.07% पर देय होगा। "

6. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(1) 1 नवंबर, 2017 को और उस तारीख से -

(क) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय निवास प्रदान किया जाता है, उससे उसके वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन के 0.50 % , जिसमें उसे रखा गया है अथवा आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, की वसूली उससे की जाएगी;

(ख) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय आवास प्रदान नहीं किया जाता है, वह निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, अर्थात:-

तालिका

कार्यस्थल	**आवास किराया भत्ता**
(1)	(2)
1. ग्रुप - क में प्रमुख "क" श्रेणी के शहर और परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 9.0%
2. क्षेत्र I के अन्य स्थान और समूह ख के परियोजना क्षेत्र केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 8.0%
3. अन्य स्थान	वेतन का 7.0%

बशर्ते यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय मकान किराया भत्ता वेतनमान के पहले चरण में वेतन के 0.50 प्रतिशत से अधिक आवासीय निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया वास्तविक किराया होगा जो उसे उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का अधिकतम 150 प्रतिशत रखा गया है।

नोट: अधिकारियों के स्वामित्व वाले आवास की लागत से संबद्ध आवास किराया भत्ते के दावों को भी पहले की तरह आवास किराया भत्ते के 150 प्रतिशत तक हो सकता है। "

7. उक्त विनियमों के विनियम 23 में,-

(क) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) और (5) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम क्रमशः प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(1) 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थान पर सेवारत है, तो उस स्थान के एवज में तालिका (2) में उल्लिखित दर पर एक नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा।

तालिका

स्थान	**दर**
(1)	(2)
1. क्षेत्र 1 और उससे ऊपर और गोवा राज्य के स्थान	रु. 1400/- प्रति माह
2. पांच लाख और उससे अधिक की आबादी वाले स्थान और राज्य की राजधानियां और चंडीगढ़, पुडुचेरी और पोर्ट ब्लेयर	रु. 1150/- प्रति माह

(2) 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद विशेष क्षेत्र भत्तों की दरें इन विनियमों की अनुसूची में यथानिर्दिष्ट होंगी।

(3) 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद यदि कोई अधिकारी समूह क या समूह ख के अंतर्गत आने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सेवारत है तो वह समूह क या समूह ख के रूप में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रतिपूरक भत्ते के लिए प्रतिमाह 600/- रुपये अथवा प्रतिमाह 525/- रुपये की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते के लिए तदनुसार पात्र होंगे।

(4)1 नवंबर, 2020 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को एक शैक्षणिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके पास पूर्व स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले एक या अधिक बच्चे हैं,, वह सभी बच्चों के संबंध में शैक्षणिक वर्ष के अंत तक शैक्षणिक वर्ष के अंत तक प्रति माह 1650 रुपये के मध्य-शैक्षणिक वर्ष हस्तांतरण भत्ते के लिए पात्र होगा, बशर्ते यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढ़ाई बंद कर देते हैं तो ऐसा भत्ता समाप्त हो जाएगा।

(5) 1 नवंबर, 2020 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक के बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियां प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, जिसमें वह प्रतिनियुक्त है, या वह अपने वेतन के अलावा, वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर सकता है, जो अधिकतम 6000/- प्रति माह है और ऐसे अन्य भत्ते जो उसे उस स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थाना हेतु लागू हो पा सकेगा :

बशर्ते यदि वह किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां वह अपनी प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले तैनात था, तो उसे उसके वेतन का 4 प्रतिशत के बराबर प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा । अधिकतम रु. 3000/- प्रति माह के अधीन :

बशर्ते बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में प्रतिनियुक्ति पर एक अधिकारी, एक संकाय सदस्य के रूप में, 4 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए पात्र होगा। उसके वेतन का अधिकतम 3000 रुपये प्रति माह के अधीन है।"

(ख) उप-विनियम (8) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(8) 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद से, यदि दिन के दौरान काम के घंटों को दो घंटे के न्यूनतम अंतराल के साथ विभाजित किया जाता है, तो अधिकारी 300 रुपये प्रति माह की दर से विभाजित ड्यूटी भत्ते के लिए पात्र होगा। "

(ग) उप-विनियमन (10) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(10) 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद, अधिकारी नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट पहाड़ी और ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात्: –

तालिका

स्थान	**दर**
(1)	**(2)**
1. 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाला स्थान लेकिन 1500 मीटर से कम और मरकारा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम रु.1125/- प्रति माह के अधीन
2. 1500 मीटर और उससे अधिक लेकिन 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम रु.1500/- प्रति माह के अधीन
3.3000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु.3000/- प्रति माह के अधीन ";

(घ) उप-विनियम (10) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम डाले जाएंगे, अर्थात्:

"(11) 1 नवंबर, 2017 को या उससे एक अधिकारी 600 रुपये प्रति माह के अधिगम भत्ते के साथ-साथ महंगाई भत्ते के लिए पात्र होगा।

"(12) 1 नवंबर, 2017 को और उससे एक अधिकारी 700 रुपये प्रति माह के निश्चित भत्ते के लिए पात्र होगा जो नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में तैनात हैं और इस नियत भत्ते की गणना महंगाई भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, अर्थात पेंशन सहित नई पेंशन प्रणाली, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए नहीं की जाएगी।

"(13) वित्तीय वर्ष 2020-21 से, कार्यनिष्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन सभी अधिकारियों को सालाना देय सामान्य वेतन के ऊपर परिचालन लाभ या निवल लाभ के आधार पर देय होगा, और नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित प्रदर्शन लिंक्ड प्रोत्साहन मैट्रिक्स बैंक के वार्षिक कार्यनिष्पादन के आधार पर देय राशि (वेतन के दिनों की संख्या = मूल + महंगाई भत्ता) तय करेगा।

तालिका

क्र.सं.	परिचालन लाभ में वर्ष दर वर्ष वृद्धि	दिनों की संख्या जिसके लिए वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) का भुगतान किया जाएगा
(1)	(2)	(3)
1.	< 5%	**शून्य**
2.	5% to 10%	5 **दिन**

3.	> 10% to 15%	10 **दिन***
4.	> 15%	15 **दिन***
* तीसरा और चौथा स्लैब केवल तभी देय होता है जब बैंक का शुद्ध लाभ हो। यदि किसी बैंक के परिचालन लाभ में पांच प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन कोई शुद्ध लाभ नहीं है, तो **5** दिनों का न्यूनतम दूसरा स्लैब देय होगा।"		

8. उक्त विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(1) 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद कोई अधिकारी स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, जो अधिकारी के स्वयं द्वारा लेखा विवरण समर्पित विवरणी के साथ जारी प्रमाण पत्र के आधार पर नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार दावा की गई राशियों का पात्र होगा, अर्थात्: -

तालिका

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु.10300/- प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो
2.	वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक श्रेणी	रु.12300/- प्रति वर्ष या खर्च की गई राशि, जो भी कम हो

स्पष्टीकरण- *इस उप-विनियमन के उद्देश्य से,-*

(i) किसी अधिकारी को अनुपलब्ध चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि वह किसी भी समय ऊपर दी गई अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक न हो; या

(ii) वर्ष 2017 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी, अर्थात, नवंबर 2017 और दिसंबर, 2017 के लिए।

9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

"(2) उप-विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, बैंक के लिए यह खुला होगा कि वह 1 नवंबर, 2017 से अधिकारी के द्वारा अपने वेतन मान के प्रथम स्तर के 0.50 प्रतिशत अथवा आवास के मानक किराया इनमें जो भी कम हो, के भुगतान पर आवासीय निवास उपलब्ध कराएगा ।

बशर्ते जहां अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है, वहां वेतन के पैमाने के पहले चरण में मूल वेतन के 0.10 प्रतिशत के बराबर राशि, जिसमें उसे रखा गया है, बैंक द्वारा उससे वसूल की जाएगी:

परंतु यह और कि जहां ऐसा आवासीय आवास बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है, वहां बिजली, पानी, गैस और अनुरक्षण के लिए शुल्क अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा । "

10. उक्त विनियमों के विनियम 32 में, परंतुक के पश्चात् उपविनियम (2) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"**स्पष्टीकरण-** इस विनियमन के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(क) वर्ष 2017 या किसी भी बाद के वर्षों में नहीं लिया गया आकस्मिक अवकाश अगले पांच वर्षों में समाप्त हो जाएगा; और

(ख) 1 नवंबर, 2020 को और उसके बाद, अधिकारी द्वारा अनुपलब्ध आकस्मिक अवकाश को चिकित्सा आधार पर अनुमति दी जाएगी और इस तरह के अनुपयोगी आकस्मिक अवकाश की अवधि जो चार दिनों से अधिक नहीं है के लिए कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा । "

11. उक्त विनियमों के विनियम 33 में,-

(क) उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात:-

" (4) जून, 2015 के प्रथम दिन और उसके बाद से, साधिकार छुट्टी दो सौ सत्तर दिनों से अधिक तक जमा नहीं की जा सकती है, सिवाय इसके कि जहां छुट्टी मांगी गई है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है:

बशर्ते विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 240 दिनों तक प्रतिबंधित होगा:

परंतु यह और कि कैलेंडर वर्ष 2020 से, एक अधिकारी अपनी पसंद के किसी त्योहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए पांच दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश भुनाने के लिए भी पात्र होगा और एक अधिकारी जिसने 1 जनवरी, 2020 को 55 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर ली है, वह एक बार के उपाय के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए सात दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश भुनाने के लिए पात्र होगा । ";

(ख) उप-विनियमन (4) के बाद, निम्नलिखित उप-नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(5) विशेषाधिकार अवकाश प्राप्त करने का इच्छुक कोई अधिकारी सामान्यतः छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजन को छोड़कर, ऐसी छुट्टी प्राप्त करने के अपने आशय की कम से कम दस दिन की सूचना देगा।

(6) जब अधिकारी के बीमार छुट्टी खाते में कोई क्रेडिट नहीं है, तो बीमारी के आधार पर लिया गया विशेषाधिकार अवकाश विशेषाधिकार छुट्टी का लाभ उठाने के अवसर के रूप में नहीं गिना जाएगा। "

12. उक्त विनियमों के विनियम 34 में, उप-विनियमन (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

" (5) महिला अधिकारी आठ वर्ष और उससे कम आयु के अपने बालकों की रुग्णता के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन रुग्णता अवकाश प्राप्त कर सकेंगी। "

13. उक्त विनियमों के विनियम 35 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखे जाएंगे, अर्थात:-

"35 अतिरिक्त बीमारी छुट्टी -(1) 1 जनवरी, 1989 को और उसके बाद, जहां किसी अधिकारी ने चौबीस वर्ष की सेवा की है, वहां वह चौबीस वर्ष से अधिक की सेवा के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह की दर से अतिरिक्त बीमार अवकाश के लिए पात्र होगा, अधिकतम तीन महीने की अतिरिक्त बीमारी अवकाश के अधीन:.

(2) 1 जनवरी, 2017 को और उसके बाद, जहां किसी अधिकारी ने तीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वह तीस वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने की दर से अतिरिक्त बीमारी छुट्टी के लिए पात्र होगा, जो अधिकतम तीन महीने की अतिरिक्त बीमारी छुट्टी के अधीन होगा:

बशर्ते बीमार छुट्टियों की कुल संख्या अधिकारी की पूरी सेवा में सात सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि 29 जून, 1999 को या उसके पश्चात् प्राप्त अतिरिक्त रुग्णता अवकाश की दशा में, विनियम 34 के उप-विनियम (2) के अनुसार अतिरिक्त छुट्टी के संराशीकरण की अनुमति दी जा सकेगी। "

14. उक्त विनियम के विनियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखे जाएंगे, अर्थात:-

"36 मातृत्व अवकाश- (1) मातृत्व अवकाश के मामले में, -

(क) कोई महिला कर्मचारी किसी एक अवसर पर अधिकतम छह माह की अवधि के लिए और अपनी सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान बारह मास की अवधि के लिए सब्सटांसिव पद वेतन पर मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी:

बशर्ते जुड़वा बच्चों के प्रसव के मामले में, मातृत्व अवकाश की अवधि आठ महीने होगी:

बशर्ते मातृत्व अवकाश आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है;

(ख) गर्भपात अथवा चिकित्सीय समाप्ति अथवा गर्भावस्था अथवा गर्भपात के मामले में, महिला कर्मचारी किसी सक्षम चिकित्सक अर्थात् अर्हता प्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ के चिकित्सीय प्रमाण-पत्र अथवा सलाह के आधार पर तथा गर्भपात अथवा चिकित्सीय समाप्ति अथवा गर्भाधान अथवा गर्भपात की चिकित्सीय समाप्ति से संबंधित विशेष या अपवादिक मामलों में चिकित्सीय प्रमाण-पत्र अथवा

परामर्श के आधार पर छ सप्ताह तक का मातृत्व अवकाश प्राप्त कर सकती है। मातृत्व अवकाश का लाभ छह सप्ताह से अधिक समय तक लिया जा सकता है, यदि एक योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा सलाह दी जाती है, लेकिन सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की समग्र सीमा के भीतर किसी भी एक अवसर पर केवल छह महीने तक;

(ग) हिस्टेरेक्टॉमी के मामले में अधिकतम साठ दिनों तक बारह माह की समग्र अवधि के भीतर छुट्टी भी ली जा सकती है।

नोट: उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने बारह महीने का मातृत्व अवकाश प्राप्त किया है और समाप्त कर दिया है, चिकित्सा प्रमाण पत्र के उत्पादन के अधीन, पंद्रह दिनों की छुट्टी उसी के अतिरिक्त स्वीकृत की जाएगी;

(घ) निःसंतान महिला कर्मचारी एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवा के दौरान अधिकतम नौ माह की अवधि के लिए एक बार छुट्टी ले सकती है। निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन, यथा: –

(i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी ली गई है;

(ii) बच्चे का दत्तक ग्रहण एक उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और कर्मचारी ऐसी छुट्टी मंजूर करने के लिए दत्तक ग्रहण विलेख बैंक को प्रस्तुत करेगा;

(iii) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी भी बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी के अनुदान के पात्र हैं;

(iv) छुट्टी उन मामलों में जैविक मां को भी उपलब्ध होगी जहां बच्चा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है;

(v) सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की समग्र पात्रता के भीतर छुट्टी का लाभ उठाया जाएगा;

ङ) बारह माह की समग्र अवधि के भीतर, निम्नलिखित स्त्री रोग संबंधी बीमारियों या उपचार के कारण अधिकतम तीस दिनों तक अस्पताल में भर्ती होने के मामले में भी छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है, यथा:

(i) एयूबी (असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव);

(ii) डिम्बग्रंथि ट्यूमर

(iii) ट्यूबेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी रिवर्सल;

(iv) प्रसवोत्तर अवसाद (पीपीडी);

(v) प्रसवोत्तर रक्तस्राव (पीपीएच);

(vi) तीव्र श्रोणि सूजन रोग (तीव्र पीआईडी);

(vii) डिसफंक्शन गर्भाशय रक्तस्राव (डीयूबी)

(2) पितृत्व अवकाश के मामले में, 1 जून 2015 से, दो जीवित बच्चों के साथ पुरुष कर्मचारी अपनी पत्नी के प्रसूति के दौरान पंद्रह दिनों के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे और इस छुट्टी को आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है:

बशर्ते अवकाश बच्चे के प्रसव की तारीख से पंद्रह दिन पहले या छह माह तक लिया जा सकता है:

परंतु यह और कि उपरोक्तानुसार पितृत्व अवकाश एक वर्ष से कम आयु के बालक को विधिक रूप से दत्तक ग्रहण करने के लिए दो जीवित बच्चों तक के पुरुष कर्मचारी को अनुज्ञात किया जाएगा। **"**

15) उक्त विनियमन के विनियम 37 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"37. विशेष अवकाश, - (1) कोई अधिकारी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम चौबीस माह के लिए वेतन रहित विशेष अवकाश के लिए पात्र होगा।

(2) अधिकारी किसी एक अवसर पर तीन माह से अधिक की अवधि के लिए विशेष अवकाश का लाभ ले सकते हैं और, गंभीर चिकित्सा परिस्थितियों में, वह किसी एक अवसर पर चार माह तक की विशेष अवकाश का लाभ ले सकते हैं।

नोट: चिकित्सा आधार पर विशेष अवकाश लेने के कारण कर्मचारी की वरिष्ठता में कोई कमी नहीं आएगी।"

16. उक्त विनियमन के विनियम 37क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" 37क. विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश -(1) 1 नवंबर, 2020 से, कोई अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी ऐसे अवसरों पर विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा जब वह शाखा जहां अधिकारी काम कर रहा है या वह स्थान जहां वह रह रहा है, कर्फ्यू, दंगों, निषेधाज्ञा, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ आदि से प्रभावित हो।

(2) 1 नवंबर, 2020 से शारीरिक या अस्थि विकलांग अधिकारी चार दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होंगे।

(3) किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश तथा कोई भी विशेष अवकाश, जो केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिदेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया जाए, भी प्रदान किया जा सकता है।"

17) उक्त विनियमों के विनियम 41 में, उप-विनियम (4) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:

"(क) विराम भत्ता: 1 नवंबर 2020 से, तालिका के कॉलम (1) में दिए गए ग्रेड या वेतनमान में कोई अधिकारी कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी दरों पर प्रतिदिन भत्ते का हकदार होगा, यथा:-

तालिका

अधिकारियों के श्रेणी या वेतनमान	**मेट्रो रु.**	**प्रमुख 'ए' श्रेणी के शहर रु.**	**क्षेत्र I रु.**	**अन्य स्थान रु.**
(1)	**(2)**			
1. वेतनमान VI और उससे ऊपर के अधिकारी	2700	1950	1650	1425
2. वेतनमान IV और V के अधिकारी	2250	1950	1650	1425
3. वेतनमान I, II और III के अधिकारी	1950	1650	1425	1200

बशर्ते जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम किन्तु चार घंटे से अधिक हो, वहां उपर्युक्त दरों की आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण – विराम भत्ते की गणना के प्रयोजन के लिए प्रतिदिन का अर्थ चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका कोई बाद का भाग होगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय से और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, प्रतिदिन का अर्थ आठ घंटे से कम नहीं की अवधि होगी।"

18. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप-विनियम (3) के लिए , निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:

"(3) 1 नवंबर, 2020 को एवं से, स्थानांतरण पर एक अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त राशि निकालने के लिए पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, यथा:-

तालिका

श्रेणी या वेतनमान	राशि
(1)	**(2)**
1. उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन (वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी)	रु.30,000/-
2. मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन (वेतनमान III तक के अधिकारी)	रु.25,000/-"

19. उक्त विनियमों के विनियम 45 में, उप-विनियम (4) के पश्चात् और नोट से पूर्व निम्नलिखित प्रावधान अंतःस्थापित किए जाएंगे, यथा:-

"बशर्ते परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के संबंध में, बैंक 11 नवंबर, 2020 से वेतन और महंगाई भत्ते का चौदह प्रतिशत अंशदान करेगा:

बशर्ते नई पेंशन योजना के सेवा प्रदाता या निधि प्रबंधक का सेवा शुल्क वित्तीय वर्ष 2020-21 से बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।"

20. उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:-

" अनुसूची "

(विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें)

1 नवंबर, 2017 से कोई भी अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए तब तक पात्र होगा जब तक उसे नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से वापस नहीं ले लिया जाता या संशोधित नहीं कर लिया जाता है, अर्थात:-

तालिका

विशेष क्षेत्र भत्ता

क्र. सं.	**क्षेत्र (राज्य या केंद्र शासित प्रदेश)**	भत्ते (रु.)	
		36,001/- रुपये से कम वेतन	**36,001/- रुपये से अधिक वेतन**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**मिजोरम**		
	(क) चिम्पुइपुई जिला और लुंगलेई जिले में लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से आगे के क्षेत्र।	4000	5200
	(ख) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से आगे के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगलेई जिला।	3200	4200
	(ग) संपूर्ण आइजोल जिला	2400	3000
2.	**नगालैंड**	3200	4200
3.	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**		
	(क) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान, निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह	4000	5200
	(ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	3200	4200
4.	**सिक्किम**	4000	5200
5.	**लक्षद्वीप**	4000	5200
6.	**असम**	640	800
7.	**मेघालय**	640	800
8.	**त्रिपुरा**	3200	4200

	(क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र		
	(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण त्रिपुरा।	2400	3000
9.	**मणिपुर**	2400	3000
10.	**अरुणाचल प्रदेश** (क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	4000	5200
	(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश में।	3200	4200
11.	जम्मू और कश्मीर (1) कठुआ जिला: नियाबतबानी, लोही, मल्हार और मछोड़ी	4000	5200
	(2) उधमपुर जिला: (क) डुडु बसंतगढ़, लैंडर भमाग इलाक़ा, भाग 2 (ख) में शामिल लोगों के अलावा।	4000	5200
	(ख) तहसील मोहरे में कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र तथा केएसी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र।	3200	4200
	(3) डोडा जिला: किश्तवाड़ तहसील में पैडर और नियाबत नौगाम के इलाका	4000	5200
	(4) लेह जिला : जिले के सभी स्थान	4000	5200
	(5) बारमुल्ला जिला: (क) संपूर्ण गुरेज़-निराबत, टंगडार उप-विभाजन और केरन इलाका	4000	5200
	(ख) मच्छिल	3200	4200
	(6) पुंछ एवं राजौरी जिले : पुंछ और राजौरी एवं सुंदरबनी तथा दोनों जिलों के अन्य शहरी इलाकों को छोड़कर पुंछ और राजौरी जिलों के इलाके	2400	3000
	(7) ऐसे क्षेत्र जो उपर कॉलम (1) से (6) में शामिल नहीं किए गए हैं, परंतु जो वास्तविक नियंत्रण सीमा के 8 किमी की दूरी के भीतर हैं अथवा ऐसे स्थान जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ता दिए जाने योग्य स्थान घोषित किए गए हैं।	2400	3000
12.	**हिमाचल प्रदेश** (1) चम्बा जिला (क) पंगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायतें: बड़गांव, बाजोल, देवलकुगटी, नयागाम और टुंडा, गाँव: ग्रामपंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटा का कनारसी गाँव	4000	5200
	(ख) भरमौर तहसील, उपर्युक्त भाग (क) में शामिल पंचायतों एवं गाँवों को छोड़कर	3200	4200
	(ग) भाटीयात तहसील में झाण्डरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी टाउन (बानीखेत प्रॉपर सहित)	2400	3000

	(2) किन्नौर जिला : (क) असरांग, चितकुल और हंगोकूनो/ चरांग पंचायतें, 15/20 क्षेत्र जिसमें छोटा खंबा, नाथपा तथा रुपी ग्राम पंचायतें शामिल हैं, उपर्युक्त वर्णित पंचायत क्षेत्र को छोड़कर पूह सब डिविजन	4000	5200
	(ख) उपर्युक्त (क) में शामिल इलाकों को छोड़कर संपूर्ण जिला	3200	4200
	(3) कुल्लू जिला: (क) निरमांड तहसील का खड़गा, कुशवार एवं सरगा ग्राम पंचायत के 15/20 क्षेत्र	4000	5200
	(ख) आउटर सेराज (निरमांड तहसील में जकात-खाना तथा बर्रो के गांवों को छोड़कर) आउटर सेराज तथा पंद्राबीस परगना को छोड़कर, परंतु निरमांड तहसील के जगत-खाना एवं बुर्रो गांव शामिल करते हुए संपूर्ण आउटर सेराज जिला	2400	3000
	(4) लाहौल तथा स्पीती जिला : लाहौल तथा स्पीती का संपूर्ण जिला	4000	5200
	(5) शिमला जिला : (क) रामपुर तहसील के 15/20 क्षेत्र, जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपरा एवं चाडी-ब्राण्डा पंचायतें शामिल हैं।	4000	5200
	(ख) डोरा-कवर तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील एवं सराहां परगना के मुनीश, घोरी चायबिस	3200	4200
	(ग) चोपाल तहसील एवं सराहां परगना के घोरिस, पंजगांव, पत्सनाउ, नौबीस एवं तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत, रामपुर तहसील का परगना बड़ाबीस, रामपुर तहसील के परगना रामपुर के कसबा रामपुर तथा घोरी नोग, शिमला टाउन तथा इसके उप नगर (ढल्ली, जटोग, कासुमपत्ती, माशेब्रा, तारादेवी और टूटू)	2400	3000
	(6) कांगड़ा जिला : (क) बड़ा भांगल और छोटा भांगल के इलाके	3200	4200
	(ख) कांगरा जिले का धर्मशाला टाउन तथा नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, जो कि धर्मशाला टाउन में शामिल किए गए हैं – वूमेन्स आईआईटी, दारी, मैकेनिकल वर्कशाप, रामनगर, चाइल्ड वेल्फेयर एवं टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग कार्यालय, सकोह, लोअर सकोह का सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगियार, एचआरटीसी वर्कशाप, साधेर, आंचलिक मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर,चाय फैक्ट्री, दारी, आई.पी.एच. सब-डिवीजन, दान, सेटलमेंट कार्यालय, शामनगर, हिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर। पालमपुर के एचपीकेवीवी कैम्पस सहित कांगड़ा जिले का पालमपुर टाउन तथा नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय, जो कि पालमपुर टाउन में शामिल किए गए हैं – एच.पी. कृषि, विश्वविद्यालय कैम्पस, मवेशी विकास कार्यालय/ जर्सी फार्म, बानुरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/ इंडो जर्मन कृषि, वर्कशॉप/ एचपीपीडब्ल्यूडी डिवीजन, बुंदला, इलेक्ट्रीकल सब-डिवीजन, लोहना, डी.पी.ओ. कॉर्पोरेशन, बुन्दल, इलेक्ट्रीकल एचपीएसईई डिवीजन, घुग्गर।	2400	3000

	(7) मंडी जिला: जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील की पंचायतें- बागरा, छतरी, छोटधार, गरागुशैन, गटू, गरयास, जंजैहली, जरयार, जोहार, कल्हणी, कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलीबागी, सोमाचन, थाचधार, ताची, थाना, धर्मपुर ब्लॉक की पंचायतें- बिंगा, कमलाह, सकलाना, तनयार और ताराखोला, करसोग तहसील की पंचायतें - बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुड़ी, मंज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें - बोही, बटवाड़ा, धन्यारा, पौरा-कोठी, सेरी और शोजा।	2400	3000
	(8) सिरमौर जिला: बानी, बाखली (पच्छाद तहसील), भरोगभनेरी (पांवटा तहसील), बिड़ला (नाहन तहसील), डिब्बर (पच्छाद तहसील) और थानाकसोगा (नाहन तहसील) और थांसगिरि क्षेत्र की पंचायतें	2400	3000
	(9) सोलन जिला: मंगल पंचायत	2400	3000
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (9) में शामिल नहीं हैं।	640	800
13.	**उत्तर प्रदेश:** चमोली, पिथौरागढ और उत्तरकाशी जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	**4000**	5200
14.	**उत्तराखंड:** चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	**4000**	5200
15.	**पश्चिम बंगाल** **दक्षिण 24 परगना जिला** सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज की रेखा के दक्षिण में), अर्थात्, भानातुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगखाली, सजनाखाली, गोसाबा, अमलमथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रैदिघी, भांची, पाथरप्रतिमा, भागवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सिकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलटोला, घुशियोघाटा (कुल्टी)	**1000**	1000.”.

सुमित खण्डेलवाल, उप महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख

[विज्ञापन-III/4/असा./707/2024-25]

नोट: यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 भारत के राजपत्र भाग III, धारा 4 में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:-

क्रं.सं.	राजपत्र अधिसूचना सं.	सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि
1.	HO/EST/2021-22/297	20-11-2021
2.	HO/EST/2017-18/470	26-04-2017

विवरणात्मक ज्ञापन

ये विनियम जो भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए गए हैं, वे भारतीय बैंक संघ द्वारा सदस्य बैंकों की ओर से इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश और बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित संयुक्त नोटों की सहमत शर्तों के अनुसार हैं। इसलिए, ऐसे भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

UCO BANK

NOTIFICATION

Kolkata, the 26th November, 2024

No. HO/EST/2024-25/570.—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the UCO Bank, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services letter No.4/2/2/2015-IR, dated the 18th December, 2020, on and from the 1st November, 2017 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the UCO Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

   (f) "Family", for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession, means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty per cent. or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters and parents wholly dependent on the officer.

   Explanation.- For the purposes of this clause,-

(i) the expression "wholly dependent family member" shall mean such member of the family having an income not exceeding **₹12,000/- per month** and if the income of one of the parents exceeds **₹12,000/- per month** or the aggregate income of both the parents exceeds **₹12,000/- per month** both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.

(ii) a married female officer may include her natural parents or parents-in-law under the definition of family, but not both, provided such parents or parents-in-law are wholly dependent on her.

Explanation 2.- For the purpose of medical expenses reimbursement scheme, for all officers, that is, male or female, any two of the dependent parents or parents-in-law shall be covered and the officer shall have the choice to substitute either of the dependents or both.

Explanation 3.- Physically challenged children of an officer shall be considered as dependents irrespective of age or marital status, subject to income criteria'**;**

3. In regulation 4 of the said regulations, -

   (a) in sub regulations (6), the *Explanation* shall be omitted;

   (b) for sub-regulation *s*(7) and (8), the following sub-regulation*s* shall be substituted, namely:–

   "(7) On and from the 1st day of November, 2017, the scales of pay specified against each grade shall be as under :-

   (a) Top Executive Grade

   Scale VII =₹116120 – 3220/4 – 129000

   Scale VI = ₹ 104240- 2970/4 – 116120

   (b) Senior Management Grade

   Scale V = ₹89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 - 100350

   Scale IV = ₹76010 – 2220/4 – 84890– 2500/2 – 89890

(c) Middle Management Grade

Scale III = ₹ 63840-1990/5– 73790 - 2220/2 - 78230

Scale II = ₹ 48170–1740/1 - 49910 -1990/10 - 69810

(d) Junior Management Grade

Scale I = ₹36000-1490/7- 46430-1740/2-49910-1990/7-63840.

Explanation:.- Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2017 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub–regulation as on the 1st November, 2017 on stage-to-stage basis, that is, on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(8) (a) On and from the 1st day of November, 2012, officers shall be paid special allowances as under:-

Scale I – III - 7.75 per cent. of basic pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 10 per cent. of basic pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI – VII 11 per cent. of basic pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(b) On and from 1st day of November, 2017, officers shall be paid special allowances as under:-

Scale I – III - 16.40 per cent. of basic pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 19 per cent. of basic pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI - VII - 20 per cent. of basic pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Explanation .- The special allowance referred to in sub-regulations (8)(a) and (8)(b) with applicable dearness allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.".

(9) Nothing in sub-regulations (1) to (8) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

4. In regulation 5 of the said regulations, -

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(1) Subject to the provisions of sub-regulations (7) and (8) of regulation 4, on and from the 1st November, 2017, the increments shall be granted subject to the following, namely: -

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (7) and (8) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the competent authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which such increments fall due;

(b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increments in the next higher scale as specified in clause (c), subject to their crossing the efficiency bar;

(c) officers in junior management grade Scale I who have moved to scale of pay for middle management grade Scale II in terms of clause (b), after reaching maximum of the higher scale, shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service of which the first two shall be Rs. 1990/– each and the next three of Rs 2220/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of the fourth stagnation increment, or on the 1st November, 2017, whichever is later;

(d) officers in middle management grade Scale II, who have moved to scale of pay for middle management grade scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher scale, shall be eligible for five stagnation increments of Rs. 2220/- each for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of fourth stagnation increment or on the 1st November, 2017, whichever is later;

(e) officers in substantive middle management grade Scale III, that is, those who are recruited in or promoted to middle management grade Scale III, shall be eligible for six stagnation increments out of which first four stagnation increments of Rs. 2220/- each shall be granted for every two years of completed service after reaching the maximum and the next two stagnation increments of Rs. 2500/- each shall be granted for every two years of completed service after receiving the fourth stagnation increment:

Provided that the sixth stagnation increment shall be released two years after release of fifth stagnation increment, or on the 1st November, 2017, whichever is later;

(f) officers in senior management grade Scale IV shall be eligible for two stagnation increments after reaching the maximum of scale, for every two completed years of service, of which first stagnation increment shall be of Rs. 2500/- and the second stagnation increment shall be of Rs. 2730/-:

Provided that the officer shall be eligible for the second stagnation increment two years after release of first stagnation increment, or on the 1st November, 2017, whichever is later;

(g) the stagnation increments received by the officers from Scale I to Scale IV during their service in the Bank, as on the 1st November, 2017, as per periodicity hereinbefore shall be readjusted from three years periodicity to two years periodicity from the date of reaching their maximum and the officer shall be notionally eligible for stagnation increments with effect from the 1st November, 2017 as per the revised periodicity, which will qualify for superannuation benefits.

Provided that the, monetary benefit on account of such revised and readjusted periodicity of stagnation increments shall be payable from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later;

(h) officer in senior management grade Scale V shall be eligible for one stagnation increment of Rs. 2970/- , two years after reaching the maximum scale of pay, or on the 1st November 2020, whichever is later:

Provided that such increments shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.- Grant of increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.";

(b) in sub-regulation (2), in the *Explanation*, after the proviso to clause (g) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(h) on and from the 1st November, 2017, other things being equal, the quantum of professional qualification pay shall stand revised as specified in the Table below:-

TABLE

(1)	(2)
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part I	(i) Rs. 1020 per month one year after reaching maximum of the scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs. 1020 per month one year after reaching maximum of the scale. (ii) Rs. 2550 per month two years after reaching maximum of the scale:

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first installment of professional qualification pay and the release of subsequent installments of professional qualification pay shall be with reference to the date of release of first installment of such professional qualification pay.";

(c) in sub-regulation (3), -

(i) in clause (f) after the table, Notes (i) to (vi) shall be omitted;

(ii) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

"(g) on and from the 1st November, 2017, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:-

TABLE

Increment component (Rs.)	Dearness Allowance as on the 1st November, 2017 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	**(2)**	**(3)**
1990	53	2043
2220	59	2279
2500	66	2566
2730	73	2803
2970	79	3049
3220	86	3306

Note:

(i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of this sub-regulation shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the aforesaid Table and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2), (3), (4), (5) (6) and (7) of regulation 4 is earned.

(iii) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1st November, 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale pay, they are placed.

(iv) On and from the 1st November 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in the explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of professional qualification pay, which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and the second installment of professional qualification pay, if any, shall be released on the 1st November, 2000.

(v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a), shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e) and (f), one year after reaching the maximum of the scale.".

5. In regulation 21 of the said regulations,-

(a) in sub-regulation (6), in the *Explanation*, in clause (b), for brackets, letter and word "(f) and (g)", the brackets, letters and word "(f),(g) and (h)" shall be substituted;

(b) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(7) On and from the 1st day of November, 2017, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.07% of pay.".

6. In regulation 22 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) On and from the 1st November, 2017,-

(a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.50 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely:-

TABLE

Place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)
1. Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	9.0% of pay
2. Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	8.0% of pay
3. Other places	7.0% of pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.50 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above Table.

Note: The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall be also be restricted to 150 per cent of House Rent Allowance as hitherto.".

7. In regulation 23 of the said regulations,-

(a) for sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—

"(1) On and from the 1st day of November, 2017, if an officer is serving in a place mentioned in column (1) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable.

TABLE

Places	Rate
(1)	(2)
3. Places in Area 1 and above and in the State of Goa	Rs. 1400/- per month
4. Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1150/- per month

(2) On and from the 1st day of November, 2017, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations.

(3) On and from the 1st day of November, 2017, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs. 600/- per month or Rs. 525/- per month according to the classification of area as Group A or Group B, respectively.

(4) On and from the 1st day of November, 2020, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs. 1650/- per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

(5) On and from the 1st day of November 2020, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs. 6000/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that if he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs. 3000/- per month:

Provided further that an officer on deputation to the training establishment of the Bank, as a faculty member, shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs. 3000 per month.";

(b) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(8) On and from the 1st day of November 2017, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs. 300 per month.";

(c) for sub-regulation (10), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(10) On and from the 1st day of November 2017, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Place	**Rate**
(1)	**(2)**
1. Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs. 1125/- per month
2. Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs. 1500/- per month
3. Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs. 3000/- per month";

(d) after sub-regulation (10), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

"(11) On and from the 1st day of November, 2017, an officer shall be eligible for learning allowance of Rs. 600/- per month alongwith Dearness Allowance thereon.

"(12) On and from the 1st day of November, 2017, an officer shall be eligible for a fixed allowance of Rs.700/- per month who are posted in areas other than the areas that are eligible for city compensatory allowance and this fixed allowance shall not be reckoned for payment of dearness allowance, superannuation benefits, viz, pension including New Pension System, Provident Fund and Gratuity.

"(13) From the financial year 2020-21, the Performance Linked Incentive shall be payable to all officers annually based on Operating Profit or Net Profit over and above the normal salary payable, and the Performance Linked Incentive matrix mentioned in the table below shall decide the amount payable (in number of days of pay = Basic + Dearness Allowance) depending on the annual performance of the Bank.

TABLE

Sl.No.	Year on Year growth in Operating profit	Number of days for which Salary (Basic + Dearness Allowance) shall be paid
(1)	(2)	(3)
1.	< 5%	Nil
2.	5% to 10%	5 days
3.	> 10% to 15%	10 days*
4.	> 15%	15 days*
*3rd and 4th slabs are payable only if the Bank has Net Profit. If a Bank has growth in operating profit of five per cent and more, but there is no Net Profit, then minimum 2nd slab of 5 days shall be payable.".		

8. In regulation 24 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) On and from the 1st day of November, 2017, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)	(3)
1.	Junior Management and Middle Management Grade	Rs.10300/- per annum or the amount incurred whichever is less
2.	Senior Management and Top Executive Grade	Rs.12300/- per annum or the amount incurred whichever is less

***Explanation*.-** For the purpose of this sub-regulation,-

(i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or

(ii) for the year 2017, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, for November 2017 and December, 2017.".

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2017, a sum equal to 0.50 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.10 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.".

10. In regulation 32 of the said regulations, in sub-regulation (2) after the proviso, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"*Explanation*.-for the purpose of this regulation, it is clarified that-

(a) casual leave not availed in the year 2017 or any subsequent years shall lapse in the following five year; and

(b) on and from the 1st day of November, 2020, the unavailed casual leave by the officer shall be permitted on medical grounds and no medical certificate is required for the period of such unavailed casual leave at a stretch not exceeding four days.".

11. In regulation 33 of the said regulations,-

(a) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(4) On and from the 1st day of June, 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and seventy days, except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of 240 days:

Provided further that from the calender year 2020, an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty five years of age as on the 1st January, 2020 and above shall be eligible to encash privilege leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement as a one time measure.";

(b) after sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(5) An officer desiring to avail privilege leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention of availing of such leave, except for the purpose of leave fare concession.

(6) When there is no credit in the sick leave account of the officer, privilege leave taken on sick grounds shall not be counted as an occasion of availing privilege leave.".

12. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted , namely:-

"(5) Women officers may avail sick leave for the sickness of their children of eight years and below subject to production of medical certificate.".

13. For regulation 35 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"35. Additional sick leave.- (1) On and from the 1st January,1989, where an officer has put in a service of twenty-four years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of twenty-four years, subject to a maximum of three months of additional sick leave:.

(2) On and from the 1st January,2017, where an officer has put in a service of thirty years, he shall be eligible for further additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of thirty years subject to a maximum of three months of additional sick leave:

Provided that the total number of sick leaves shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer:

Provided further that in case of additional sick leaves availed on or after the 29th June, 1999, commutation of additional leave may be allowed in accordance with sub-regulation (2) of regulation 34.".

14. For regulation 36 of the said regulation, the following regulation shall be substituted, namely:-

"36. Maternity leave.-(1) In case of maternity leave,-

(a) a female employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that maternity leave may be availed combining with any other kind of leave except casual leave;

(b) in case of miscarriage or medical termination of pregnancy or abortion, a female employee may avail maternity leave upto six weeks on the basis of medical certificate or advice of a competent medical practitioner, that is, a qualified gynecologist and in special or exceptional cases involving medical complications, associated with miscarriage or medical termination of pregnancy or abortion, maternity leave may be availed beyond six weeks, if advised by a qualified gynecologist, but upto six months only on any one occasion, within the overall limit of twelve months during the entire period of service;

(c) within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hysterectomy upto a maximum of sixty days.

Note: In the case of employees who have availed and exhausted maternity leave of twelve months, leave of fifteen days shall be sanctioned over and above the same, subject to production of medical certificate;

(d) a childless female employee may avail leave once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely: -

(i) leave availed for is for adoption of only one child;

(ii) the adoption of a child shall be through a proper legal process and the employee shall produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;

(iii) the permanent part-time employees are also eligible for grant of leave for adoption of a child;

(iv) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;

(v) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service;

(e) within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hospitalisation on account of the following gynecological ailments or treatments upto a maximum of thirty days, namely:-

(i) AUB (Abnormal uterine bleeding) ;

(ii) Ovarian Tumor;

(iii) Tubectomy or Tubectomy reversal;

(iv) Post-Partum Depression (PPD);

(v) Post-Partum Hemorrhage (PPH);

(vi) Acute Pelvic Inflammatory Disease (Acute PID);

(vii) Dysfunction Uterine Bleeding (DUB) .

(3) In case of paternity leave, with effect from the 1st June 2015, male employees with upto two surviving children shall be eligible for fifteen days paternity leave during his wife's confinement and this leave may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave may be availed upto fifteen days before or upto six months from the date of delivery of the child:

Provided further that paternity leave as above shall be allowed to a male employee with upto two surviving children for legally adopting a child who is below one year of age.".

15. For regulation 37 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"37. Extraordinary leave:- (1) An officer shall be eligible for extraordinary leave on loss of pay for not more than twenty-four months during the entire period of service.

(2) An officer may avail extraordinary leave on any one occasion for a period not exceeding three months and, in extreme medical circumstances, he may avail extraordinary leave upto four months on any one occassion.

Note : The employee will not be losing any seniority on account of availing extraordinary leave on medical grounds.".

16. For regulation 37A of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

"37A. Special casual leave and special leave.-(1)With effect from the 1st November, 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working or the place where he is residing is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, etc.

(2) With effect from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) An officer may also be granted special casual leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.".

17. In regulation 41 of the said regulations, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

" (a) Halting allowance: On and from the 1st day of November 2020, an officer in the grades or scales set out in column (1) of the Table shall be entitled to per diem halting allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Grades or Scales of pay of officers	**Metro (Rs.)**	**Major `A' Class cities (Rs.)**	**Area I (Rs.)**	**Other Places (Rs.)**
(1)	**(2)**			
1. Officers in Scale VI and above	2700	1950	1650	1425
2. Officers in Scale IV and V	2250	1950	1650	1425
3. Officers in Scale I, II and III	1950	1650	1425	1200:

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, halting allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation .- For the purpose of computing halting allowance *per diem* shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and

where the total period of absence is less than twenty-four hours, *per diem* shall mean a period of not less than eight hours.".

18. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub- regulation shall be substituted, namely:-

"(3) On and from the 1st day of November, 2020, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

"TABLE

Grade or Scale	Amount
(1)	**(2)**
1. Top executive and senior management (officers in Scale IV and above)	Rs. 30,000/-
2. Middle Management and junior management (officers upto Scale III)	Rs. 25,000/-.".

19. In regulation 45 of the said regulations, after sub-regulation (4) and before the Note the following provisos shall be inserted, namely:-

" Provided that with regard to officers covered under Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), the Bank shall make a contribution of fourteen per cent. of pay plus dearness allowance with effect from the 11th November, 2020:

Provided further that the service charges of the service provider or fund manager of New Pension Scheme shall be borne by the Bank from the financial year 2020-21.".

20. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

(*see* sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2017, an officer shall be eligible for the special area allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Special Area Allowance

Sl. No.	**AREA** (State or Union territory)	**Allowances (Rs.)**	
		Pay below Rs. 36,001/-	**Pay above Rs. 36,001/-**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	**Mizoram**		
	(a) Chimptuipui district and areas beyond 25 kilometers from Lunglei town in Lunglei district.	4000	5200
	(b) entire Lunglei district excluding areas beyond 25 kilometers from Lunglei town.	3200	4200
	(c) entire Aizawl district	2400	3000
2.	**Nagaland**	3200	4200
3.	**Andaman and Nicobar Islands**		
	(a)North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	4000	5200
	(b) South Andaman (including Port Blair)	3200	4200

4.	**Sikkim**	4000	5200
5.	**Lakshadweep**	4000	5200
6.	**Assam**	640	800
7.	**Meghalaya**	640	800
8.	**Tripura** (a) Difficult areas of Tripura	3200	4200
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	2400	3000
9.	**Manipur**	2400	3000
10.	**Arunachal Pradesh** (a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4000	5200
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	3200	4200
11.	**Jammu and Kashmir** (1) Kathua district: NiabatBani, Lohi, Malhar and Machhodi	4000	5200
	(2) Udhampur district: (a) Dudu Basantgarh, Lander Bhamag Illaqa, other than those included in Part 2(b).	4000	5200
	(b) Areas uptoGoel from Kamban side and areas upto Arnas from Keasi side in tehsil Mohre.	3200	4200
	(3) Doda district: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar tehsil	4000	5200
	(4) Leh district : all places in the district	4000	5200
	(5) Barmulla district: (a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar sub-division and KeranIllaqua	4000	5200
	(b) Matchill	3200	4200
	(6) Poonch and Rajouri district : areas in Poonch and Rajouri district excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two districts	2400	3000
	(7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the state government for their own staff.	2400	3000
12.	**Himachal Pradesh** (1) Chamba district (a) Pangi tehsil, Bharmour tehsil, Panchayats:Badgaun, Bajol, DeolKugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata	4000	5200
	(b)Bharmour tehsil, excluding panchayats and villages included in (a) above.	3200	4200
	(c) Jhandru panchayat in Bhatiyat tehsil,Churah tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	2400	3000

	(2) Kinnaur district: (a) Asrang, Chitkul and HangoKuno/ Charang panchayats, 15/ 20 Area comprising the Gram panchayats of ChhotaKhamba, Nathpa and Rupi, Pooh sub-division, excluding the panchayat areas specified above.	4000	5200
	(b) entire district other than areas included in (a) above.	3200	4200
	(3) Kullu district: (a) 15/20 Area of Nirmand tehsil, comprising the gram panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	4000	5200
	(b) [Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand tehsil) and entire district excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of tehsil Nirmand]	2400	3000
	(4) Lahaul and Spiti district : entire area of Lahaul and Spiti	4000	5200
	(5) Shimla district : (a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	4000	5200
	(b) Dora-Kawar tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath tehsil and Munish, Ghori Chaibis of Pargana Sarahan.	3200	4200
	(c) Chopal tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of ParganaSarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, ParganaBarabis, Kasba Rampur and Ghori Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	2400	3000
	(6) Kangra district: (a) Areas of Bara Bhangal and ChhotaBhangal	3200	4200
	b) Dharamshala town of Kangra district and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. KrishiVishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop or HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	2400	3000

	(7) Mandi district: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	2400	3000
	(8) Sirmaur district: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and ThanaKasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	2400	3000
	(9) Solan district : Mangal Panchayat.	2400	3000
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	640	800
13.	**Uttar Pradesh:** Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttarkashi districts	4000	5200
14.	**Uttarakhand:** Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat districts	4000	5200
15.	**West Bengal** **South 24 Pargana district** Sunderban Areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhanatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhingakhali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi, Bhanchi, PatharPratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, kuemari, Kultola, Ghushioghata (Kulti)	1000	1000.".

SUMIT KHANDELWAL, Dy. General Manager & Zonal Head

[ADVT.-III/4/Exty./707/2024-25]

Note: The UCO Bank (Officers') Service Regulations,1979 were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 and subsequently amended *vide* following notifications:-

Sl No.	Gazette Notification No.	Date of Publication in official gazette
1.	HO/EST/2021-22/297	20-11-2021
2.	HO/EST/2017-18/470	26-04-2017

EXPLANATORY MEMORANDUM

These regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.11.27 21:15:14 +05'30'